(वाद सं0–6792/4/25/2022)

05.02.2024

परिवादी, गायत्री देवी, सहायक शिक्षिका, नगर मध्य विद्यालय, नवादा उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी को उसके विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किये जाने से सम्बन्धित है।

परिवादी का कथन है कि उपरोक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उसके माह जून 2022 का वेतन बिना किसी आधार के रोक दिया गया है। परिवादी का कथन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में आवेदन देने पर उसके जून 2022 के बकाया वेतन का भुगतान दिसम्बर 2022 में कर दिया गया है। परिवादी का यह भी कथन है कि अब उसका कोई बकाया नहीं है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, नवादा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, नवादा** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा के प्रतिवेदनानुसार, ‘‘परिवादी को उसके बकाया वेतन का भुगतान दिनांक–13.12.2022 को कर दिया गया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि विद्यालय परिसर में दिव्याँग बच्चों के लिए केन्द्र संचालित है, जहाँ दृष्टिबाधित तथा अन्य तरह के दिव्याँग बच्चें परिसर में उपस्थित रहते है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानाध्यापक द्वारा उनकी सुरक्षा हेतु परिवादी के वाहन को परिसर में प्रवेश करने से रोका गया है। प्रतिवेदन में परिवादी द्वारा उसके वाहन को विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करने देने के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक पर लगाये गये आरोप में बेबुनियाद बताया गया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परिवादी द्वारा आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश का आवेदन देने पर उसे हमेशा स्वीकृत किया जाता है।

प्रतिवेदन में परिवादी द्वारा प्रधानाध्यापक पर लगाये गये सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है।''

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि दिव्याँग महिला होने के के बावजूद उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा हमेशा प्रताड़ित किया जाता है।

हालांकि अपने प्रत्युत्तर में परिवादी द्वारा प्रताड़ना के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में परिवादी के बकाया माह जून 2022 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है तथा परिवादी द्वारा प्रधानाध्यापक पर लगाये गये सभी आरोपों को जाँच के बाद बेबुनियाद बताया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिवेदन (पृष्ठ 48–28/प0) की प्रति संलग्न कर, तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव